23.2.22 आज यह पत्रावली पेश हुई।
वकील वादी अनुपस्थित पत्रावली के
अवलोकन किया गया। वादी
व वादी के वकील लगातार अनु०
नहीं आ रहे। कई पे. से प्रतीत होता है
कि वादी वाद चलाना ही नहीं चाहता
है। अतः वादी का वाद अदम हाजरी
अदम पैरवी में खारिज किया जाता
है। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर
की जावे पालना [illegible] हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukut Singh
Date: 2022.10.28 10:57:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर) राज.